



परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित करा कर प्रोत्साहित करना है।

स्वरूप :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित करने पर परिषद को हुई शुल्क की क्षति की प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रक्रिया :- झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद से प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त कर आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा परिषद को राशि सीधे उपलब्ध कराई जाती है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित करा कर प्रोत्साहित करना है।

स्वरूप :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित करने पर परिषद को हुई शुल्क की क्षति की प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रक्रिया :- झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद से प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त कर आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा परिषद को राशि सीधे उपलब्ध कराई जाती है।